कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला –महासमुन्द, (छ.ग.)
(दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक 07723–224352, E-mail ID- dwcdmahasamund@gmail.com)

प. क्रमांक 1063/मबावि/सा.वि.(ICPS)/2016–17 महासमुन्द, दिनांक 22/07/2016

–:: दावा आपत्ति निराकरण सूचना प्रकाशन ::–

एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण ईकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में विभिन्न रिक्त (संविदा) पदों हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्र/अपात्र अभ्यार्थियों की सूची प्रकाशित करते हुए दिनांक 02.07.2016 तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। जिनमें से दावा आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण उपरांत पात्र अभ्यार्थियों की सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रकाशित सूची अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंकों की मेरिट सूची के क्रम में 01 पद के लिए अधिकतम 10 उम्मीदवारों को अनिवार्य कौशल परीक्षा/स्किल टेस्ट/कम्प्यूटर परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से अभ्यार्थियों को दी जायेगी।

जिले में सामाजिक कार्यकर्ता का 02 पद एवं आउटरिच वर्कर का 4 पद स्वीकृत है। अतः निर्देशानुसार उपरोक्त दोनों पदों पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 13–14/2009/आप्र/1–3 दिनांक 04.12.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन नियम 2012 के अनुसूची 2 में जिला स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए दिए गये मॉडल रोस्टर लागू रहेंगे।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्देशित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
सह सचिव जिला बाल संरक्षण समिति
जिला महासमुन्द (छ.ग.)